

आदेश

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम-9 के उप नियम 8 के अंतर्गत उप निदेशक अभियोजन के वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं का पुनर्विलोकन करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में पूर्व चयनित उप निदेशक अभियोजन का चयन/रिक्ति संशोधित किये जाने पर निम्न अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्ति की दिनांक के विरुद्ध उप निदेशक अभियोजन के पद पर वेतन शृंखला (15600-39100) ग्रेड पे-(19) 7200/- Pay Matrix L-18 in Revised Pay Rules 2017 में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है :-

वर्ष 2016-17

क्र.सं	नाम अधिकारी	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति की दिनांक
01.	श्री ब्रह्मानन्द जोशी	अ.जा.	2016-17	01.04.2016
02.	श्री अशोक कुमार बन्नावत	अ.ज.जा	2016-17	01.04.2016
03.	श्री गिरिराज अग्रवाल	अनारक्षित	2016-17	01.04.2016
04.	श्री प्रमोद कुमार बिहाणी	अनारक्षित	2016-17	01.04.2016
05.	श्री महासिंह राव	अनारक्षित	2016-17	01.04.2016
06.	श्री राधेश्याम जांगिड	अनारक्षित	2016-17	01.04.2016
07.	श्री सुशील कुमार शर्मा	अनारक्षित	2016-17	01.04.2016
08.	श्री मोहम्मद अयाज	अनारक्षित	2016-17	01.04.2016
09.	श्री गजानन्द गुप्ता	अनारक्षित	2016-17	01.04.2016
10.	श्री अरुण माथुर	अनारक्षित	2016-17	01.04.2016
11.	श्री लक्ष्मीरमेश चौधरी	अनारक्षित	2016-17	01.04.2016
12.	श्री महेन्द्र कुमार	अनारक्षित	2016-17	01.08.2016
13.	श्री अशोक कुमार जैन	अनारक्षित	2016-17	01.10.2016

वर्ष 2017-18

श्री ब्रह्मानन्द जोशी का चयन वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध किये जाने के फलस्वरूप इनका वर्ष 2017-18 में उप निदेशक अभियोजन के पद पर पूर्व चयन निरस्त किया जाता है।

साथ ही विभागीय पदोन्नति द्वारा पूर्व अन्य अनुशंसाओं को यथावत रखा गया है।

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह(विधि)

राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव,राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन,राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव,गृह(विधि)
राजस्थान जयपुर

आदेश

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम-9 के उप नियम 8 के अंतर्गत कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की पालना में सहायक निदेशक अभियोजन पद के पूर्व वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं का पुनर्विलोकन करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्न अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों में सहायक निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैं:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	चयन जिस वर्ष में किया गया	चयन जिस वर्ष में निरस्त किया गया।	वरिष्ठता जहाँ निर्धारित की गई।
01.	श्री कालूलाल मीणा	2012-13	2020-21	श्री मंगल चन्द मीणा के नीचे रहेगी।
02.	श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा	2014-15 रिक्ति की दिनांक 01.04.14	2015-16	श्री हेमन्त कुमार सिंधी के नीचे रहेगी।

नोट:-

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार तालिका में वर्णित अधिकारियों जिनकी पदोन्नति 2019-20 में या पश्चातवर्ती वर्षों में की गई हैं ऐसे कार्मिकों का वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता पर पुनः नियत किया जायेगा किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा एवम् तालिका में वर्णित ऐसे कार्मिक जिनका पदोन्नति पर चयन वर्ष 2020-21 में या आगामी वर्षों में किया गया है का वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होगा और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतन वृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह(विधि)

राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव,राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन,राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव,गृह(विधि)
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:पं.3(1)गृह-10 / 2022

जयपुर, दिनांक: 02/02/24

आदेश

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम-9 के उप नियम 8 के अंतर्गत कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की पालना में अभियोजन अधिकारी पद के पूर्व वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं का पुनर्विलोकन करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्न अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों में अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैं:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	चयन, जिस वर्ष में किया गया।	चयन, जिस वर्ष में निरस्त किया गया।	चयन पर वरिष्ठता जहाँ निर्धारित की गई।
01.	श्री धनश्याम सोनी	2013-14	2017-18	श्री दिनेश कुमार के नीचे रहेगी।
02.	श्री रमेश कुमार अटल	2015-16 रिक्ति की तिथि 01.04.2015	2020-21	कुं. रेणु नायक के नीचे रहेगी।
03.	श्रीमति प्रेमलता ढाबी	2015-16 रिक्ति की तिथि 01.04.2015	2020-21	कुं. ज्योति के नीचे रहेगी।
04.	श्री अब्दुल वहीद	2020-21 रिक्ति की तिथि 01.04.2020	---	श्री रविन्द्र सिंह के नीचे रहेगी।

नोट:-

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार तालिका में वर्णित अधिकारियों जिनकी पदोन्नति 2019-20 में या पश्चातवर्ती वर्षों में की गई हैं ऐसे कार्मिकों का वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता पर पुनः नियत किया जायेगा किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा एवम् तालिका में वर्णित ऐसे कार्मिक जिनका पदोन्नति पर चयन वर्ष 2020-21 में या आगामी वर्षों में किया गया है का वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होगा और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतन वृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,


(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह(विधि)
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव,राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण ।
7. समस्त अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन,राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव,गृह(विधि)
राजस्थान जयपुर